...ालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

12/10/19 ....

57/19

तारीख रजू..............................

कृष्ण कुमार **बनाम** ग्राम पंचायत तिगरीया पंचायत समिति कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.7.19	आज यह अपील श्री कृपादयाल गुर्जर एड० ने उपस्थित होकर पेश की। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज पंजिका। रेस्पोंडेन्ट को जायें सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 9.8.19 को पेश हो। SDO(K)	
9/8/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश हो।	
11/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/12/19 को पेश हो।	
20/12/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 28/2/20 को पेश हो।	
28.2.20	वकील वादी .... उपस्थित। साधिक आदेश दिनांक 5/7/20 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 16/4/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16.4.20	... कोविड उप०/P.O साहब COVID-19 ... पत्रावली दिनांक 4-6-20 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/9/12	वकील पार्टी ... उपस्थित। समक्ष आदेश 5/7/20 की पालना ... दिनांक 30/9/12 ... [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
30/9/12	वकील पार्टी ... उपस्थित। समक्ष आदेश दिनांक ... की पालना में पत्र ... दिनांक 21/10/12 ... [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21/10/12	वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट बावजूद ... तामील उपस्थित नही आये रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 15/11/12 को पेश हो। कृष्ण कुमार
15/11/12	वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस अपीलार्थी सुनी गई। अतः अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाकर निगरानी प्रकरण के खिलाफ जाकर खारिज किया गया। पत्रावली फैसल हुक्म होकर नतीजे ... बाद तामील जिला परिषद रिकार्ड बहाल की हुक्म। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखन सिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/10/2019

वउनवान

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगराम जाति गुर्जर निवासी बूलाहेडी तहसील कठूमर जिला अलवर

------अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्रामपंचायततिगरियापंचायतसमितिकठूमरजिलाअलवर

------रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी आज्ञा दिनांक 19.03.1985 ग्राम पंचायत तिगरिया।

उपस्थित :–श्रीकृपादयालगुर्जर–अपीलाण्ट की ओरसे

निर्णय दिनांक 15.11.2022

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 3 वीघा 16 विस्वा 29 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर में स्थित है। सजरा के अनुसार जगराम अपीलाण्ट का पिताहै जगराम के पांच पुत्र शिवराम, रज्जो, लक्खीराम, कृश्णकुमार व सीसराम है। कल्लन नाम का कोई पुत्र नहीं है। जगराम के फौत हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी पटवारी हल्का ने मृतक के वारिसान की जांच किये विना मन माने तरीके से अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये विना नोटिस दिय इन्तकाल में दर्ज अपीलाण्ट का नाम कृष्ण कुमार के स्थान पर कल्लन दर्ज कर दिया। जवकि अपीलाण्ट का नाम कल्लन न होकर कृष्ण कुमार है। अपीलाण्ट की शिक्षा के दस्तावेजात,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस व राशन कार्ड में अपीलाण्ट का नाम कृष्ण कुमार ही दर्ज है। पटवारी हल्का को मृतक पिता का विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय व रेस्पो0 को उक्त इन्तकाल को फैसल करते समय अपीलाण्ट को सुनकर व उसके पहचान के दस्तावे जले कर सही नाम कृश्ण कुमार दर्ज करना चाहिए था। उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल को ग्राम पचायत ने गैर कानूनी तरीके से दिनांक 19.03.1985 को फैसल किया है। अतः उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 21/329 व 29/330 वाके ग्राम बूलाहेडी पर अपीलाण्ट का नाम कल्लन के स्थान पर कृष्ण कुमार दर्ज करने हेतु यह अपील अदालत श्रीमान में पेश की जार ही है। गलत इन्तकाल की जान कारी अपीलाण्ट को दिनांक 28.06.2019 को उस समय हुई जव अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर क्रेडिट कार्ड बनवाने की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गया। उससे पहले उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हुई। जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने दोश पूर्णइन्तकाल की दिनांक 28.06.2019 को नकल लेकर रेस्पो0 से उक्त गलत इन्तकाल को सही करने वावत कहा तो रेस्पो0 ने इन्कार कर दिया। दिनांक19. 03.1985 से दिनांक 01.07.2019 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। अतः अपील के साथ अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया व अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण बताते हुये देरी को कण्डोन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 वावजूद तामील दिनांक 21.10.2022 को उपस्थित नही आया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ नकल इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी, नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम बूलाहेडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, मार्कसीट, राशनकार्ड, डी एल, व भामाशाह की छाया प्रति पेश की हैं। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बहस सुनी गई । पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व नामान्तकण व छाया प्रति आधार का अवलोकन किया गया।विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्रामबूलाहेडी में अपीलाण्ट का नाम कल्लन पुत्र जगराम के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र जगराम दर्ज करने का निवेदन किया।विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट ने उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी के विन्द पर नरमीका रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के विन्द परनरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी मे अंकित सज़रा में अपीलाण्ट कृष्ण कुमार के नाम से अंकित है। जमाबन्दी में भी इन खसरा नम्बरान में कल्लन पुत्र जगराम का अंकन है। अपीलाण्ट ने अपने नाम के सम्बन्ध में अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, मार्कसीट, राशनकार्ड, डी एल, व भामाशाह की छाया प्रति पेश की हैं। जिससे यह सावित है कि अपीलाण्टस का सही नाम कल्लन न होकर कृष्ण कुमार है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पहचान के दस्तावेजा के अवलोकन सेव अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन करने पर अपीलाण्ट का नाम कल्लन न होकर कृष्ण कुमार होना प्रमाणित है। पटवारीहल्का ने इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी शरतेव रेस्पो0 द्वारा उक्त इन्तकाल को स्वीकार करते समय अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये कृष्ण कुमार के स्थान पर कल्लन गलत दर्ज किया है। रेस्पो0 को अपीलाण्ट को सुनकर व पहचान के दस्तावेज लेकर अपीलाण्ट का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र जगराम दर्ज करना चाहिए था। अपीलाण्ट ने अपना भापथपत्र पेश किया है जिसम अपीलाण्ट ने अपन नाम कल्लन न होकर कृष्ण कुमार होना कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 93 वाके ग्राम बूलाहेडी से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 21/329 व 29/330 वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर पर अपीलाण्ट का नाम कल्लन पुत्र जगराम के स्थानपर कृष्ण कुमार पुत्र जगराम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 15.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)